छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19
नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छ.ग.) 492002
ई–मेल– hocecb@gmail.com

क्रमांक 3260 / तक. / छ.ग.प.सं.मं. / 2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/7/2020

--:: कार्यालय आदेश::--

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों जैसे स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट आदि में बड़ी मात्रा में लगने वाले कच्चे माल यथा आयरन ओर, जिप्सम, कोयला, स्पंज आयरन आदि का परिवहन सड़क मार्ग से ट्रकों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कच्चे माल/उत्पाद का परिवहन ढ़ंके हुये वाहनों से करने की शर्त उद्योग को प्रदत्त सम्मति में निहित की जाती है। प्रायः यह देखने में आता है कि उक्त सामग्रियों का परिवहन करते समय वाहनों को ओव्हर लोड कर उचित प्रकार से तारपोलिन आदि से ढ़ंका नहीं जाता है, जिसके कारण परिवहन के दौरान उक्त सामग्री मार्ग में वाहनों से गिरकर फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का प्रमुख कारण बनते हैं। कई स्थानों पर परिवहन घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरने के कारण सड़क के दोनों ओर स्थित आवासीय क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या भी होती है। साथ परिवेशीय वायु गुणवत्ता में धूल कणों में वृद्धि कारण बनती है।

2/ परिवहन हेतु मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों का उपयोग होने से ओव्हर लोडिंग एवं व्यवस्थित रूप से नहीं ढ़ंके जाने से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 40वीं बैठक दिनांक 24/05/2017 में यह निर्णय लिया गया था कि सभी उद्योगों को प्रदत्त सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन ढ़ंककर करने की शर्त के स्थान पर कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन एक वर्ष के भीतर मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से किये जाने की शर्त निहित की जावे।

3/ इस तारतम्य में ऐसे उद्योगों जिनमें कच्चे माल/उत्पाद के परिवहन से डस्ट उत्सर्जन की संभावना हो अर्थात् स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, कोल वॉशरी आदि को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन एक वर्ष के भीतर मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से किये जाने की शर्त निहित किये जाने हेतु आदेश कमांक 1586/मुख्यालय/तक./छ.ग.प.सं.मं./2017 नया रायपुर, दिनांक 01/07/2017 जारी किया गया है।

4/ फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) द्वारा अपने पत्र दिनांक 17/10/2019 के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति / सम्मति नवीनीकरण में मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से कच्चे पदार्थों, अपशिष्ट इत्यादि के परिवहन की शर्त निहीत रहती है। नान कंप्लायंस की दशा में सम्मति नवीनीकरण के पूर्व कुल विनियोग के 0.25 प्रतिशत की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत किया जाना होता है। इनके द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार के वाहन वर्तमान में बाजार में उपलब्ध नहीं है। उद्योगों द्वारा आवश्यकतानुसार तारपोलिन से ढंककर परिवहन किया जाता है। परिवहन का कार्य उद्योगों द्वारा आउटसोर्स किया जाता है। अतः

परिवहन संघ तथा वाहन मालिकों के वाहनों के पंजीयन के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपरोक्त का समावेश किया जावे तथा इसको सम्मति में शामिल नहीं किया जावे। इसी प्रकार पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा अपने पत्र दिनांक 21/10/2019 द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

5/ वर्तमान में बाजार में मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों की अनुपलब्धता एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर ऐसे उद्योगों जिनमें कच्चे माल/उत्पाद के परिवहन से डस्ट उत्सर्जन की संभावना हो अर्थात् स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, कोल वॉशरी आदि को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से किये जाने हेतु आगामी एक वर्ष का समय दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 47 वीं बैठक दिनांक 02/07/2020 में निर्णय लिया गया है।

6/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में आदेश क्रमांक 1060/मुख्यालय/तक./छ.ग.प.सं.मं./2017 नया रायपुर, दिनांक 12/06/2017 को संशोधित करते हुये आदेशित किया जाता है कि ऐसे उद्योगों जिनमें कच्चे माल/उत्पाद के परिवहन से डस्ट उत्सर्जन की संभावना हो, अर्थात् स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, कोल वॉशरी आदि को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष के भीतर मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से किये जाने की शर्त निहित किये जावे। साथ ही पूर्व में जिन उद्योगों/संस्थाओं को सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से परिवहन करने की शर्त निर्धारित हैं, उनके सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में भी उपरोक्त आशय का संशोधन माना जावे।

7/ मेकेनिकली कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से परिवहन हेतु एक वर्ष की अवधि इस शर्त के अधीन प्रदान की जावे कि "उद्योगों/संस्थाओं द्वारा कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन तारपोलिन अथवा उपयुक्त मटेरियल से उचित एवं पर्याप्त रूप से ढंककर किया जावे।"

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 3261/तक./छ.ग.प.सं.मं./2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3/7/2020

प्रतिलिपि :–

1. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/भिलाई–दुर्ग/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. नोटिस बोर्ड।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)